

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 मई, 2010

संख्या सीसीपी (एनसीआर)/आरटीके/बीएचएलटी/एसीए/2010/1774 — बूकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अत्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है ;

इसीलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् —

अनुसूची

रोहतक शहर के इर्द-गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या बीटीपी (आर) 1777/2010, दिनांक 20 जनवरी, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव किलोई (हदबस्त संख्या 60) की आयत संख्या 143 का उत्तर-पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव किलोई (हदबस्त संख्या 60) की आयत संख्या 143, 142, 141, 140, 139, 138 तथा 137 उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ 'बी' तक जो कि गांव किलोई (हदबस्त संख्या 60) की आयत संख्या 137 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव किलोई (हदबस्त संख्या 60), गांव भातीट (हदबस्त संख्या 59), गांव पकसमा (हदबस्त संख्या 57), गांव नोनोद (हदबस्त संख्या 43), गांव गंधारा (हदबस्त संख्या 44), गांव इस्माईला (हदबस्त संख्या 38) के गांवों की उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव इस्माईला (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 61 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव इस्माईला (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 61, 60, 59 तथा 58 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् आयत संख्या 58 तथा 38 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् आयत संख्या 28, 27, 26 तथा 25, तत्पश्चात् आयत संख्या 25 तथा 12 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् गांव गंधारा (हदबस्त संख्या 44) की आयत संख्या 120, 104 तथा 97 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् आयत संख्या 82 तथा 83 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् आयत संख्या 83 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् आयत संख्या 69 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ, तत्पश्चात् आयत संख्या 59 की पश्चिमी सीमाओं के, तत्पश्चात् आयत संख्या 61, 62, 63 तथा 64 की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव गंधारा (हदबस्त संख्या 44) की आयत संख्या 64 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/एनएच-10/आरटीके/5/सीए/बी/2005/1380, दिनांक 13 जून, 2006 द्वारा वादा चयन श्रद्धा गांव खरावर की सीमा के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ, तत्पश्चात् हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/आरटीके/एसीए-2/ए/2006/1082, दिनांक 4 मई, 2006 द्वारा रोहतक की सीमा के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ तथा तत्पश्चात् हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/1996/1107, दिनांक 10 अक्टूबर, 1996 द्वारा रोहतक की सीमा के इर्द-गिर्द पहले से घोषित अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी०एस० डेसी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 18th May, 2010

No. CCP(NCR)/RTK-BHLT/ACA/2010/1774.— Whereas in the opinion of the Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:—

Schedule

Schedule of boundaries of the additional controlled area around Rohtak town to be read with the Drawing No. D.T.P. (R) 1777/2010, dated the 29th January, 2010.

- North:** Starting from Point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 143 of village Kiloi (Hadbast number 60) thence towards east along the northern boundaries of rectangle number 143, 142, 141, 140, 139, 138 and 137 of village Kiloi (Hadbast number 60) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 137 of village Kiloi (Hadbast number 60).
- East:** Thence moving from point 'B' towards south along the north-east and east-south village revenue boundaries of villages Kiloi (Hadbast number 60), village Bhalaut (Hadbast number 59), village Paksma (Hadbast number 57), village Nonond (Hadbast number 43), village Gandhra (Hadbast number 44), village Ismaila (Hadbast number 38) upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 61 of village Ismaila (Hadbast number 38).
- South:** Thence moving from point 'C' towards west along the southern boundaries of rectangle number 61, 60, 59, 58. Thence along the western boundaries of rectangle number 58 and 36, thence towards along the southern boundary of rectangle number 28, 27, 26 and 25, thence along the western boundary of rectangle number 25 and 12 of village Ismaila (Hadbast number 38), thence along the western boundary of rectangle number 120, 104 and 97, thence along the southern boundary of rectangle number 82 and 83, thence along southern boundaries of rectangle number 83, thence along southern boundaries of rectangle number 69, thence along the western boundary of rectangle number 69, thence along the southern boundaries of rectangle number 61, 62, 63 and 64 of village Gandhra (Hadbast number 44) upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 64 of village Gandhra (Hadbast number 44).
- West:** Thence moving from point 'D' towards north along the already declared controlled area boundary of Dada Chawan Rishi Temple at village Kharawar published in Haryana Government Gazette *vide* notification No. CCP(NCR)/NH-10/RTK/5/CA/B/2006/1380 dated 13.06.2006. Thence along the already declared additional controlled area boundary of Rohtak published in Haryana Government Gazette *vide* notification No. CCP(NCR)/RTK/(ACA2)/A/2006/1082 dated 04.05.2006 and along the already declared additional controlled area boundary of Rohtak-I published in Haryana Government Gazette *vide* notification No. CCP(NCR) 1107/CCP(NCR)/96 dated 11.10.1996 upto point 'A' i.e. point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.